न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/66

1. तमन्ना आयु 08 वर्ष पुत्री श्री रामशंकर जाति माली निवासी हरिधाम कोलोनी तहसील के पीछे ग्राम देवपुरा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी नाबालिग जरिये नैसर्गिक संरक्षक माता राजकरन्ता आयु 27 वर्ष पत्नी श्री रामशंकर जाति माली निवासी हरिधाम कोलोनी तहसील के पीछे ग्राम देवपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
2. खुशी आयु 06 वर्ष पुत्री श्री रामशंकर जाति माली निवासी हरिधाम कोलोनी तहसील के पीछे ग्राम देवपुरा तहसील व जिला बून्दी नाबालिग जरिये नैसर्गिक संरक्षक माता राजकरन्ता आयु 27 वर्ष पत्नी श्री रामशंकर जाति माली निवासी हरिधाम कोलोनी तहसील के पीछे ग्राम देवपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
3. हर्षित आुय 02 माह पुत्र श्री रामशंकर जाति माली निवासी हरिधाम कोलोनी तहसील के पीछे ग्राम देवपुरा तहसील व जिला बून्दी नाबालिग जरिये नैसर्गिक संरक्षक माता राजकरन्ता आयु 27 वर्ष पत्नी श्री रामशंकर जाति माली निवासी हरिधाम कोलोनी तहसील के पीछे ग्राम देवपुरा तहसील व जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. माधोलाल आयु 60 वर्ष आत्मज श्री पन्ना लाल जाति माली निवासी केयर/ऑफ कालूलाल माली माना भैरूजी के पास बीबनवा रोड तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. सीमा बाई आयु 30 वर्ष पत्नी श्री धनराज पुत्री माधोलाल जाति माली निवासी ग्राम नीमा का खेडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. रामशंकर आयु 28 वर्ष आत्मज श्री माधोलाल जाति माली निवासी हरिधाम कोलोनी तहसील के पीछे ग्राम देवपुरा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. सुनिल आयु 26 वर्ष आत्मज श्री माधोलाल जाति माली निवासी हरिधाम कोलोनी तहसील के पीछे ग्राम देवपुरा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. जगन्नाथ आयु 64 वर्ष आत्मज श्री लटूर लाल जाति माली निवासी हरिधाम कोलोनी तहसील के पीछे ग्राम देवपुरा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. नन्दलाल आयु 60 वर्ष आत्मज लटूर लाल जाति माली निवासी हरिधाम कोलोनी तहसील के पीछे ग्राम देवपुरा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
7. हीरालाल आयु 62 वर्ष आत्मज श्री लटूर लाल जाति माली निवासी हरिधाम कोलोनी तहसील के पीछे ग्राम देवपुरा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
8. गणेश लाल आयु 45 वर्ष आत्मज श्री लटूरलाल जाति माली निवासी हरिधाम कोलोनी तहसील के पीछे ग्राम देवपुरा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

9. श्रीमती धन्नी आयु 82 वर्ष पत्नी श्री लटूरलाल जाति माली निवासी हरिधाम कोलो तहसील के पीछे ग्राम देवपुरा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
10. भंवर लाल आयु 70 वर्ष आत्मज श्री पन्ना लाल जाति माली निवासी हरिधाम कोलो तहसील के पीछे ग्राम देवपुरा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
11. रामकिशन आयु 65 वर्ष आत्मज श्री पन्ना लाल जाति माली निवासी हरिधाम कोलो तहसील के पीछे ग्राम देवपुरा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
12. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीललदार बून्दी ।
13. उप पंजीयक बून्दी ।

---रेस्पोडन

उपस्थित :- 1. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री उमेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 9 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27.10.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायाल उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2021 के विरूद्ध पेश व गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत हक घोषणा, विभाजन भूमि एवं स्था निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्था काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम देवपुरा तहसील एवं जिल बून्दी में कुल 06 किता की रकबा 2.591 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि संयुक्त खाते व भूमि जिसमें अप्रार्थी क्रम 01 माधो लाल का 1/3 हिस्सा निहित है । इसी प्रकार ग्राम देवपुरा खसरा नम्बर 700 रकबा 0.0692 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थीगण के संयुक्त खा में दर्ज है । खसरा नम्बर 629 रकबा 1.5995 हैक्टर भूमि अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते में दर्ज जिसमें अप्रार्थी क्रम माधोलाल का 5/16 हिस्सा निहित है । खसरा नम्बर 687 रकबा 0.515 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 698 रकबा 0.1000 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 0.6152 हैक्ट अप्रार्थी माधोलाल के खाते में दर्ज है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 266 रकबा 0.4306 हैक्टर ए खसरा नम्बर 271 रकबा 0.6767 हैक्टर कुल 02 किता की कुल रकबा 1.1073 हैक्टर वाके ग्रा बीबनवा तहसील व जिला बून्दी में स्थित है जिसमें अप्रार्थी क्रम 01 माधोलाल का 7/45 हिस्स निहित है जो उसके द्वारा बेचान कर दिया गया । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4, 5, 6, 7 व में वर्णित भूमि अप्रार्थी क्रम 01 माधोलाल के हिस्से की कृषि भूमियॉ अविभक्त संयुक्त परिवार व पैतृक एवं पैतृक भूमि की आय से बनायी गई भूमियॉ है जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण क्रम

लगायत 4 संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे हैं । प्रार्थीगण मूल पुरूष स्वर्गीय श्री पन्ना लाल के परपौत्र एवं परपौत्रियॉं, अप्रार्थी क्रम 1 माधोलाल के पौत्र–पौत्री एवं अप्रार्थी क्रम 3 रामशंकर के पुत्र पुत्रियॉं हैं और संयुक्त परिवार के सदस्य हैं । अप्रार्थी माधोलाल के हिस्से की उक्त भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से ही अधिकार निहित है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 04 में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी माधोलाल के 1/3 हिस्से में से 1/16 हिस्से पर, चरण संख्या 05 में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी माधोलाल के 3/16 हिस्से पर, चरण संख्या 6 में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी माधोलाल के 5/16 हिस्से में से 15/256 हिस्से पर एवं चरण संख्या 7 में वर्णित भूमि में अप्रार्थी क्रम 01 माधोलाल के हिस्से में से 3/16 हिस्से पर प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से जन्म से ही अधिकार निहित है जिसे प्रार्थीगण घोषित करवा कर विधिवत विभाजन कराने के अधिकारी हैं । माधोलाल अपनी गलत आदतों के कारण वादग्रस्त आराजी को बिना किसी आवश्यकता के कम कीमत पर ही बेचान करने पर आमादा है । प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की घोषणा करवाकर विभाजन करावें । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी क्रम 01 ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करे । उक्त कृत्य न तो अप्रार्थी क्रम 1 स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी क्रम 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.03.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2021 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट प्रार्थीगण की पैतृक एवं पैतृक भूमि की आय से बनायी गई भूमियॉं है जिसमें अपीलान्टगण का जन्म से ही अधिकार प्राप्त है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्टगण के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्टगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का परीक्षण न्यायालय में पेश किया था । अपीलान्टगण रामशंकर के पुत्र–पुत्रियॉं हैं

और वादग्रस्त आराजी माधोलाल को अपने पूर्वजों से मिली है । माधोलाल अपीलान्टगण के दादा हैं आराजी पैतृक होने के प्रमाण स्वरूप अपीलान्ट ने समस्त रिकॉर्ड परीक्षण न्यायालय में पेश किया था । आराजी बून्दी शहर से लगी हुई है और कीमती है । आराजियात पैतृक है एवं पैतृक भूमि के आय से क्रय की हुई है जिस पर संयुक्त रूप से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टगण काबिज हैं । रेस्पोडेन्ट माधोलाल मानसिक रूप से बीमार हैं, गलत आदतों की आदी हो गये हैं, अपने परिवार को छोडकर अपनी बहिन के पास निवास करते हैं और आराजी को बेचान करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें अधिकार नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्टगण के पक्ष में तय पायी जाती है फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से वादग्रस्त आराजी रहन, बेचान नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 06 के अनुसार वादग्रस्त आराजी हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 206, एआईआर 1997 पेज 1333, आरआरडी 1999 पेज 472, एआईआर 1991 (बोम्बे) पेज 10, आरआरडी 1989 पेज 595, आरआरडी 1970 पेज 237, आरआरडी 1970 पेज 135, आरआरडी 2007 पेज 296, आरआरडी 1965 पेज 120, आरआरडी 2012 पेज 163 उद्दरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 9 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में अनापत्ति व्यक्त की । रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया है । प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी क्रम 01 एवं अन्य अप्रार्थीगण ने पेश किया है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी नया खाता संख्या 353 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 06 किता की रकबा 2.5915 हैक्टर आराजी में माधो लाल का 1/3 हिस्सा दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी नया खाता संख्या 274 में खसरा नम्बर 700 की रकबा 0.692 हैक्टर भूमि में माधोलाल सहखातेदार दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी नया खाता संख्या 827 खसरा नम्बर 629 मे माधो लाल का 5/16 हिस्सा सहखातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी नया खात संख्या 417 में कुल 02 किता की रकबा 0.6152 हैक्टर में माधोलाल सहखातेदार दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी नया खाता संख्या 70 कुल 02 किता रकबा 1.1073 हैक्टर में माधोलाल का 7/45 हिस्सा सहखातेदार दर्ज है ।

11. इसके अलावा पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2051–54 संलग्न है जिसव अनुसार कुल 06 किता की 16 बीघा 15 बिस्वा आराजी में पन्ना लाल वल्द ग्यारसा, लटूर वल ग्यारसा व अन्य सहखातेदार दर्ज हैं । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2051–54 वाके ग्रा देवपुरा में 01 किता की 09 बिस्वा आराजी पन्नालाल, लटूर एवं अन्य सहखातेदार दर्ज हैं फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2043–46 वाके ग्राम देवपुरा में कुल 02 किता की 15 बीघ 08 बिस्वा आराजी पन्ना लाल, वल्द ग्यारसा के खातेदारी में दर्ज है । पत्रावली प नामान्तरकरण संख्या 369 की फोटो प्रति भी संलग्न है । दो जमाबन्दियों की फोटो प्रतियॉ भ

पत्रावली पर संलग्न हैं जो पठनीय नहीं हैं । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2043–46 व ग्राम देवपुरा में कुल 11 किता की रकबा 23 बीघा 04 बिस्वा आराजी पन्नालाल, लटूर पिसार ग्यारसा के सहखातेदारी में दर्ज है । पत्रावली पर एक विक्रय पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न जो दिनांक 23.07.2001 को निष्पादित किया गया है जिसके अनुसार विकेतागण ने ग्राम देवपु की नया खाता संख्या 170 की कुल 06 किता की 16 बीघा 17 बिस्वा अराजी में से अपना 1/ हिस्सा माधोलाल को विक्रय किया है । नामान्तरकरण संख्या 780 की फोटो प्रति एवं प्र सूचना रिपोर्ट तथा अंतिम रिपोर्ट भी पत्रावली पर संलग्न हैं ।

12. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात संलग्न हैं उनका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि कुछ साबिक खसरा नम्बरान की जमाबन्दियॉ पेश की गई हैं जिसमें पन्नालाल, ल सहखातेदार दर्ज हैं और हाल खसरा नम्बरान की जो फोटो प्रतियॉ पेश की गई हैं उ माधोलाल सहखातेदार दर्ज हैं परन्तु अपीलान्ट प्रार्थी के द्वारा मिलान क्षेत्रफल की नकलें नहीं की गई हैं । मिलान क्षेत्रफल से मिलान करने पर उपरान्त ही यह सिद्ध किया जा सक है कि माधोलाल के खाते में जो आराजियात दर्ज हैं वो पैतृक हैं अथवा नहीं । यहॉ यह उल्लेखनीय है कि एक विक्रय पत्र की प्रति भी परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जिसके अनुसार माधो लाल ने ग्राम देवपुरा की कुल 06 किता की 16 बीघा 17 बिस्वा आरा में 1/3 हिस्सा क्रय किया है । इस प्रकार यह आराजी माधोलाल की स्वअर्जित आराजी है बिना किसी प्रमाण के इसको पैतृक सम्पत्ति की आय से क्रय किया हुआ नहीं माना जा सक इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित नहीं कर पाये हैं । तद्नुसार परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खा करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । चूँकि प्रार्थी अपीलान्ट अपने प्रार्थना पत्र को दस्तावे साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये हैं इस कारण विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्ध नजीरें यहॉ चस्पा नहीं होती हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2021 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/10/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा